न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 129/2026

शंकराराम पुत्र खुमाराम
बनाम
जोगसिंह पुत्र पीरसिंह वगैरा

दिनांक 4 .06.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 02/2025 बअनवान जोगसिंह बनाम कृष्ण वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1–जोगसिंह ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील सांचौर स्थित ग्राम अमरापुरी के नवीन खातेदारी खसरा नम्बर 2562/364, 2563/364, 2565/365 व 2566/365 की उल्लेखित रकबा भूमि की पत्थरगढी कर माठे कायम करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, अप्रार्थी सं0 1 से 6 –अपीलांट व अन्य के नवीन ख0नं0 397 के मध्य की मोमिया नक्शा सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश कर सीमाज्ञान करने तथा सीमांकन कर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 5–शंकराराम ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री बुद्धाराम चौधरी व प्रत्यर्थी सं0 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–जोगसिंह ने प्रार्थना प्रस्तुत कर ग्राम अमरापुरी के नवीन ख0नं0 2562/364, 2563/364, 2565/365 व 2566/365 की भूमि की पत्थरगढी कर माठे कायम करवाने का आग्रह किया गया। इसके पडौस में अपीलार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 397, 399/2014 की भूमि आयी हुई है, जिनमें माठ को लेकर विवाद है। आलौच्य प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मौके पर पक्की माठ व सीमाएं कायम है। इसलिए कब्जे में परिवर्तन के लिए पत्थगढी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। जिस पर बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार सांचौर का जवाब/रिपोर्ट तलब नही की गई तथा राजस्व नक्शें के अनुसार तरमीम का आदेश पारित नही किया गया। कब्जे के विवाद का निस्तारण धारा 183 आर.टी. एक्ट के तहत नियमित वाद द्वारा संभव है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपने मालिकाना हक–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन एवं नेखमबंदी हेतु आग्रह किया गया। रेस्पो0–प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 17.07.2025 को वादग्रस्त खसरान की भूमि का वक्त सीमांकन मौका तस्दीक किया गया। मौका फर्द अनुसार बिन्दु सं0 बी से सी की माठ जो ख0नं0 397 से लगती हुई है, के मौके पर विवाद है। ख0नं0 397 के खातेदारान को सूचित करने पर कोई उपस्थित नही हुए। उक्त खसरानों के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, दोनो पक्षों को सूचित करते हुए, इनके मध्य की माठ की पैमाईश कर, इनके रूबरू मोमिया नक्शा सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश कर, वादगस्त खसरान का सीमांकन व पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट–अप्रार्थी सं0 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई अधीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज कर करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश अप्रार्थी सं0 7–तहसीलदार की रिपोर्ट के अभाव में पारित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया है, जो कि आज्ञापक है। मौका सीमांकन फर्द दिनांक 17.07.25 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खसरान के मध्य बिन्दु सं0 "बी से सी" पर विवाद है। यद्यपि इस बाबत अपीलांट–अप्रार्थी सं0 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब पर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, किंतु इससे अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार सांचौर का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2025 बअनवान जोगसिंह बनाम कृष्ण वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु यथासंभव 02 माह में विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 4.6.26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर